न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूं जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी गनपत नरेश

प्रार्थना पत्र संख्या ::– 07/2024

देवी पिता प्रभू जी जाति धाकड़ निवासी अनोपपुरा तह0 बेगूं
प्रार्थी

बनाम

श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूं जिला चित्तौडगढ़
विपक्षी

उपस्थित ::– श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश दिनांक ::– 11.11.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि मौजा ग्राम अनोपपुरा प.ह. दौलतपुरा में प्रार्थी की निजी गैर खातेदारी आवंटनशुदा भूमि राजस्व जमावंदी संवत 2078 में अंकित है जिसका विवरण इस प्रकार से है :–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
351	763/602	0.1500

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्यरा एक में अंकित आराजी संख्या 763/602 रकबा 0.1500 हैक्टर भूमि प्रार्थी को वक्त आवंटन के समय में आवंटन कमेटी के द्वारा आवंटित की गई तथा बाद आवंटन, आवंटन कमेटी के सदस्यो एवं राजस्व कर्मचारियो द्वारा प्रार्थी को मौके पर कब्जा सिपुर्द कर आवंटन के राजस्व नक्शे में तरमीम कर वक्त आवंटन प्रार्थी के बढते हुए नंवर 763/602 राजस्व नक्शे में कायम कर प्रार्थी के नाम गैर खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की गई।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में अंकित आराजी प्रार्थी को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन दिनांक को आवंटनशुदा आराजी संख्या 763/602 मौके पर 874/602 से लगती हुई भूमि पर कब्जा करा कब्जा सिपुर्द किया गया उक्त आवंटन दिनांक से ही प्रार्थी आराजी संख्या 874/602 से लगती हुई भूमि पर काविज हो काविल काश्त बनाकर चारो तरफ पत्थरो की दीवार कर एवं सिंचाई का साधन कर निरंतर निर्वाध रूप से काविज हो काश्त करता चला आ रहा है, लेकन राजस्व कर्मचारियों द्वारा ऑनलाईन के राजस्व रेकार्ड में नक्शे मे तरमीम नही करे मनमाफिक एवं लापरवाही से तरमीम कर दी गई है जो राजस्व कर्मचारियों की एक भारी लिपीकीय भूल रही है।

यह कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र वर्णित आवंटनशुदा आराजी का प्रार्थी का आवंटन दिनांक से ही मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड के नक्शे में तरमीम कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। क्यो कि प्रार्थी ने आवंटन दिनांक से ही आवंटित भूमि को अपने अंग मेहनत व धन व्यय करके कावील काश्त वनाई है। प्रार्थी की आजीविका का मुख्य साधन भी कृषि है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में अंकित आराजी संख्या 763/602 की हल्का पटवारी से जमावंदी एवं ऑन लाईन का नक्शा प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि राजस्व कर्मचारियो द्वारा प्रार्थी की आराजी का राजस्व रेकार्ड में नक्शे में तरमीम कब्जे अनुसार नहीं करके लापरवाही पूर्व मनमाफिक तरमीम कर दी गई है जो कि एक लिपीकीय भारी भूल रही है।

यह कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी संख्या 763/602 का मौके पर प्रार्थी के कब्जे अनुसार आराजी संख्या 874/602 से लगती हुई भूमि पर प्रार्थी की तरमीम किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौडगढ़)

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में अंकित आराजी संख्या 763/602 का मौके पर प्रार्थी के कब्जे अनुसार आराजी संख्या 874/602 से लगती हुई भूमि पर प्रार्थी की तरमीम किये जाने का आदेश फरमाया जावें

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी भूमिधारी को प्रकरण में जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में भूमिधारी के प्रतिनिधी नायब तहसीलदार, बेगूँ उपस्थित आए तथा उनके द्वारा इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र अंकित सभी बिन्दुओं को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तु किया है, जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी को आवंटित आराजी मौजा अनोपपुरा प.ह. दौलतपुरा की आराजी संख्या 763/602 की तरमीम जहॉ मुझे कब्जा दिया गया वह आराजी संख्या 874/602 के लगती हुई जगह पर कब्जा दिया गया था किन्तु गलती से तरमीम अन्य जगह पर कर दी गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सही तरमीम कराने का आदेश फरमाया जावें। बहस में भूमिधारी द्वारा अपनी बहस प्रस्तुत जवाब अनुसार करते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस उभयपक्ष की सुने जाने के उपरान्त प्रस्तुत समस्त दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, भूमिधारी द्वारा अपने जवाब में कही भी यह अंकित नहीं किया है कि किन कारणो से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार है। ना ही बहस में कोई ठोस कारण ही बताए है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा अनोपपुरा प.ह. दौलतपुरा के खाता संख्या 351 में अंकित आराजी संख्या 763/602 रकबा 0.1500 हैक्टर भूमि प्रार्थी देवी पुत्र प्रभू धाकड सा.देह गैरखातेदार के नाम पर दर्ज है। प्रस्तुत नकल ऑनलाईन नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थी को आवंटनशुदा आराजी संख्या 763/602 की तरमीम आराजी संख्या 874/602 के उपर की गई है,जो कि त्रिकोणी आकार में दर्शाई गई है जबकि आवंटन के समय वक्त कब्जा ट्रेस को वर्गाकार में अंकित किया हुआ हैं। आवंटन प्रार्थना पत्र की नकल, व रिपोर्ट पटवारी की नकल पर्चामौका वक्त आवंटन की नकल, आवंटित भूमि का अमल दरामद करने का पत्र की नकल व पट्टा व प्रस्तावित तरमीम हेतु प्रस्तुत नक्शे की नकल का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया।

पत्रावली में प्रस्तुत वक्त आवंटन के नक्शाट्रेस एवं ऑनलाईन तरमीम के नक्शा ट्रेस से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को आवंटित भूमि की तरमीम गलत की गई है, जिसे सही करा पाने के अधिकारी पाये जाते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट का स्वीकार किया जाता है। मौजा अनोपपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा में अंकित आराजी संख्या 763/602 का मौके पर प्रार्थी के कब्जे अनुसार आराजी संख्या 874/602 से लगती हुई भूमि पर प्रार्थी को आवंटित आराजी भूमि की तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

आदेश आज दिनांक 11.11.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ
जिला—चितौडगढ़

क्रमांक/सरिश्ता/2024/552 दिनांक :– 12.11.24

प्रार्थना पत्र संख्या 07/2024 व अनवान देवी धाकड बनाम भूमिधारी प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल आरएक्ट में हुए आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ
जिला—चितौडगढ़